नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018

उभयपक्ष के निवेदन अनुसार न्यायहित में आज प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष सुनवाई में लिया गया। आवेदक सहित श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।
सुना गया। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा
आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उनके मध्य आपस में
स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है तथा वे साथ—साथ रहने लगे
हैं एवं उनके बीच वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद या झगडा
शेष नहीं रहा है और उक्त कारण से उभयपक्ष प्रकरण को
स्वेच्छयापूर्वक आगे नहीं चालाना चाहते हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य
राजीनामा हो जाने से प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया
गया है एवं आदेश पत्रिका के हांसिये में उनके द्वारा उक्त संबंध में
टीप अंकित की गई तथा उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्व
ारा की गई है।

अतः प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार न्यायहित में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वेच्छिक एवं विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाये। प्रकरण में पूर्व से नियत आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सुनील कांकर एड. (सदस्य)

धर्मेंद्र पाण्डेय एड. (सदस्य) (सतीश कुमार गुप्ता) पीठासीन अधिकारी ख0पी0क021 एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड